

शुष्क वन अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर

“भारत का अमृत महोत्सव”

(रिपोर्ट : साप्ताहिक गतिविधि, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2021)



भारत सरकार द्वारा आयोजित “भारत का अमृत महोत्सव” के तहत, भारत की उपलब्धियों और पर्यावरणीय जागरूकता के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों को जागरूक करने के उद्देश्य से वानिकी एवं पर्यावरण संबंधित आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी), जोधपुर द्वारा (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं भारत सरकार एवं भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद्, देहरादून के निर्देशानुसार) Iconic Week (4th -10th अक्टूबर 2021) के दौरान 6 अक्टूबर 2021 को, श्री एम. आर. बालोच, भा.व.से., निदेशक, आफरी, जोधपुर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का विषय “Awareness programme to Avoid the Single Use Plastic” था। इस बैठक में संस्थान के डॉ. जी. सिंह, समूह समन्वयक (शोध), समस्त प्रभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक, मुख्य तकनीकी अधिकारी एवं विभिन्न अनुभाग/प्रकोष्ठ इंचार्ज उपस्थित रहे। बैठक का संचालन श्री राजेश गुप्ता, सम्पदा अधिकारी द्वारा किया गया। श्री राजेश गुप्ता ने एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए उपस्थित वैज्ञानिकों/अधिकारियों से सुझाव आमंत्रित किये। सुझावों की अनुपालना हेतु निम्नलिखित निर्णय लिए गए –

- ✓ संस्थान में विभिन्न कार्यशालाओं/बैठकों एवं कार्यक्रमों के दौरान उपयोग में ली जाने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स बोतलें, प्लास्टिक के गिलास, कप इत्यादि के प्रयोग का परिवर्जन करना है। इनके स्थान पर कांच के गिलास, कप, कागज/कांच की प्लेट तथा विशिष्ट अतिथियों के लिए उत्तम गुणवत्ता की पानी की बोतल प्रयोग में लाना सुनिश्चित करें।
- ✓ इन कार्यक्रमों के दौरान पीने योग्य पानी की व्यवस्था हेतु पोर्टेबल आर.ओ यूनिट/वॉटर यूनिट की व्यवस्था की जाये जिससे कि कार्यक्रम स्थल के नजदीक ही प्रतिभागियों द्वारा पीने योग्य जल का उपयोग किया जा सके।

- ✓ विभिन्न कार्यक्रमों/आयोजनों के दौरान बाहर से मंगाये जाने वाले भोजन को कागज की प्लेट्स तथा पैकिंग में ही मंगाया जाए।
- ✓ सभी कार्यक्रमों में भोजन, नाश्ता तथा अल्पाहार के दौरान प्लास्टिक के चम्मचों को प्रयोग करने के बजाय लकड़ी/स्टील के चम्मच प्रयोग में लाना सुनिश्चित करें।
- ✓ खुले स्थानों पर विभिन्न प्रकार का प्लास्टिक कचरा पैकिंग से या भण्डारों से निकालकर इकट्ठा कर दिया जाता है जिसे नहीं डाला जाये। इस प्रकार के प्लास्टिक एवं अन्य कचरे को निश्चित कचरा संग्रहण स्थान पर रखना सुनिश्चित करें ताकि समय पर उनका निस्तारण किया जा सके।
- ✓ अनुसंधान कार्यों हेतु मृदा प्रतिदर्शों (soil samples) को जहां तक संभव हो प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े की बैग में ही संग्रहित करना सुनिश्चित करें।
- ✓ अकाष्ठ वनोपज परियोजनाओं के अन्तर्गत कृषकों एवं अन्य हितधारकों को संस्थान द्वारा दिये जाने वाले अचारों के samples कांच की छोटी भरनियों में दिया जाना सुनिश्चित करें।
- ✓ विभिन्न आयोजनों/कार्यशालाओं के आयोजन के अवसर पर संस्थान द्वारा बनाये जाने वाले बैनर यथासंभव कपड़े पर ही बनवाये जायें।
- ✓ संस्थान के अनुपयोगी प्लास्टिक कचरा के निष्पादन के लिए उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- ✓ प्रभागों की प्रयोगशालाओं में उपयोग के पश्चात निष्पादन हेतु बाहर निकाली गई कांच की बोतलें परिसर के सामने के बगीचे में भू-दृश्य निर्माण हेतु थावलों में डिजाइन के रूप में प्रयोग की जा सकती हैं।
- ✓ संस्थान के सामाजिक कार्यक्रमों में प्राकृतिक उत्पाद (दोना-पत्तल) का प्रयोग भोज आयोजनों में करके प्लास्टिक के उपयोग से बचा जाये।
- ✓ संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यशालाओं इत्यादि के दौरान अतिथियों के स्वागत में प्रयोग में लाये जाने वाले पुष्प गुच्छ (Bouquet) बिना प्लास्टिक सामग्री वाले लाये जाए।
- ✓ बिजली के पैनल के नवीनीकरण के पश्चात शेष अनुपयोगी प्लास्टिक की सामग्री का निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।
- ✓ संस्थान के सभी प्रभागों/अनुभागों प्रतिदिन चाय के लिए उपयोग में लाये जाने वाले डिस्पोजेबल कप के स्थान पर लिए में चीनी मिट्टी के कप उपयोग में लाए जाएं।
- ✓ संस्थान के सभी अधिकारी/कर्मचारी/शोधार्थी एवं अन्य कर्मी सुनिश्चित करें कि प्लास्टिक के पाउच एवं अन्य सामग्रियां इधर-उधर न फेंके। समस्त कचरा कचरा संग्रहण पात्र में ही डालें।

कार्यक्रम के अंत में आफरी निदेशक द्वारा सभी सुझावों के पालन करने का आव्हान किया |

